



235

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म.प्र.

प्र.क्र.

R 4352 I-16

1. मुश्ताक अली तनय तेज अली
निवासी नारायण बाग छतरपुर तह. छतरपुर
जिला छतरपुर
2. आबिद अली तनय मुहम्मद रमजान
निवासी नया मोहल्ला, छतरपुर तह. छतरपुर
जिला छतरपुर

.....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

म.प्र.शासन

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 140/अ-6/15-16 पारित आदेश दिनांक 19/12/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :-

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा ग्राम सौरा स्थित भूमि खसरा क्र 129 एवं 130 भूमि श्रीमति किरण पटेल पत्नि धर्मदास पटेल एवं राजेश पटेल तनय प्रभु उर्फ कटू पटेल निवासी ग्राम सौरा तह. व जिला छतरपुर के भूमिस्वामी हक व स्वत्व की भूमि थी जिसके खसरा क्र 129 में से रकवा 0.380 हे एवं 130 में से रकवा 1.400 हे को उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16/9/13 के माध्यम से आवेदकगण को निर्धारित प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय कर मालकाना हक व हिस्सा प्रदाय किया गया तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि पर अपना नामांतरण किए जाने हेतु एक आवेदन पत्र तहसीलदार छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे तहसीलदार छतरपुर द्वारा बिना किसी आधार के निरस्त कर दिया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

निवेदक सिपाई
एडवो

94251-71223

7000853503) f

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.4352.5/16 जिला छतरपुर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.12.16	<p>1- आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित उनके तर्क सुने। यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0 के प्र.क्र. 140/अ-6/वर्ष 15-16 में पारित आदेश दिनांक 19/12/16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2- आवेदकगण का तर्क है कि उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि स्थित मौजा ग्राम सौरा खसरा क्र 129 एवं 130 रकवा क्रमशः 0.380 एवं 1.400 हे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16/09/2013 के माध्यम से श्रीमति पार्वती पटेल एवं राजेश पटेल से क्रय की थी तथा विक्रय पत्र के आधार पर उसके द्वारा भूमि पर नामांतरण किए जाने हेतु एक आवेदन पत्र तहसीलदार छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें तहसीलदार द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही कर विधि विपरीत आदेश पारित किया गया तथा आवेदकगण के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित नहीं किया गया है जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>3- आवेदकगण का यह भी तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि विक्रेता श्रीमति पार्वती पटेल एवं राजेश पटेल के भूमिस्वामी स्वामित्व की भूमि है जिसको उनके द्वारा निर्धारित प्रतिफल प्राप्त कर आवेदकगण को विक्रीत की गयी है। उनके द्वारा तर्क में कहा गया है कि राजस्व अभिलेख को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी राजस्व अधिकारियों की है जिस कारण से विक्रेतागण एवं अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई अपत्ति ना होने के आधार पर तहसीलदार को नामांतरण आदेश आवेदक के पक्ष में पारित करना चाहिए था। उनका यह भी तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि वैधानिक तरीके से विक्रेतागण को भूमिस्वामी स्वत्व पर प्राप्त हुई है जिससे खातेदार को उक्त भूमि किसी भी व्यक्ति को विक्रय कर हस्तांतरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त आधार पर</p>	<p>पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर</p> <p><i>(Handwritten signature)</i></p>

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>आवेदकगण द्वारा यह निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>4- आवेदकगण के मौखिक तर्कों पर विचार किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रश्नाधीन भूमि श्रीमति पार्वती पटेल एवं राजेश पटेल के भूमिस्वामी स्वामित्व की भूमि है जो कि राजस्व अभिलेख में उनके नाम पर दर्ज है जिसको उनके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16/09/13 के माध्यम से आवेदकगण को विक्रय किया गया है। तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है श्रीमति पार्वती पटेल एवं राजेश पटेल द्वारा लिखित शपथ पत्र प्रस्तुत कर आवेदकगण के पक्ष में नामांतरण किए जाने की सहमति दी गयी थी एवं आवेदकगण के पक्ष में नामांतरण पर किसी भी व्यक्ति कोई अपत्ति नहीं थी। विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र मात्र इस आधार पर निरस्त किया गया है कि राजस्व अभिलेख में प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1958-59 में किसी के नाम पर भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज नहीं थी जबकि संहिता के लागू होने पर धारा 158(2) एवं 190 के अंतर्गत सभी कब्जेधारी को भूमिस्वामी मान्य किया गया था। संहिता की धारा 110 के प्रावधानानुसार नामांतरण केवल राजस्व अभिलेख को दुरुस्त रखने की एक प्रक्रिया है नामांतरण हो जाने मात्र से स्वामित्व सिद्ध नहीं होता है जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नारायणप्रसाद वि तुलसीदास 2002 रा.नि. 306 में प्रतिपादित किया गया है। इसी प्रकार शान्तिबाई वि जसरथ धोबी 2005 रा.नि. 45 में स्पष्ट किया गया है कि राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को संदिग्ध मानकर क्रेता के पक्ष में नामांतरण करने से अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है - उसे बिक्रीनामा को शून्य घोषित करने का अधिकार नहीं है। जहां तक प्रश्न अन्य किसी व्यक्ति को आवेदक के पक्ष में किए गए नामांतरण अथवा विक्रय पत्र पर अपत्ति का है तब उस व्यक्ति को उचित विधान के अंतर्गत नियमानुसार सक्षम न्यायालय अथवा व्यवहार न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने की पूर्ण स्वतंत्रता व अधिकार प्राप्त है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण का अनुरोध</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

संज्ञान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7	<p>स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।</p> <p>5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार छतरपुर का आदेश दिनांक 19/12/16 निरस्त किया जाता है परिणामतः राजस्व/कम्प्यूटर अभिलेख में विक्रय पत्र दिनांक 16/09/2013 के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का नाम दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार यह निगरानी निराकृत की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

